FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA

L.D. Case No.- 193/2024

Asha Jha & Ors. ....Appellants.

Versus

The State of Bihar & Anr……………................................Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	08.8.2025	(see below)	

08.8.2025

आदेश

यह अपील वाद भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता, बनमनखी, पूर्णिया द्वारा B.L.D.R. Case No.–52/2022-23 में दिनांक-28.5.2024 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षी की ओर से जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है।

प्रश्नगत जमीन की विवरणी निम्नानुसार है :-

अंचल	मौजा/ थाना नं0	खाता	खेसरा	रकवा
बनमनखी	काझी हृदयनगर/52	587	154	11 डी0

दिनांक-24.7.2025 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है। उभय पक्ष की ओर से Written Note of Argument दाखिल है।

उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र, Reply/Rejoinder आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि उभय पक्ष के बीच आपसी पारिवारिक विवाद है। अपीलार्थी के पति स्व0 संजीव कुमार झा तथा विपक्षी राजीव लोचन झा दोनों सहोदर भाई हैं। तथा यह कि दोनों भाईयों के नाम से प्रश्नगत जमीन का बंदोबस्ती पर्चा निर्गत किया गया है। जिसपर संयुक्त जमाबंदी सं0-75 कायम है। पूर्व में दोनों पक्ष के बीच आपसी सामंजस्य की स्थिति थी, जो कालान्तर में विवाद में बदल गया। सुनवाई में यह स्पष्ट हुआ कि अपीलार्थी के पति संजीव कुमार झा के मृत्यु के उपरांत विपक्षी द्वारा अपीलार्थी को प्रश्नगत जमीन से बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि प्रश्नगत जमीन पर उभय पक्ष का बराबर-बराबर हिस्सा है।

अतः अंचल अधिकारी, बनमनखी को आदेश दिया जाता है कि प्रश्नगत जमीन के संदर्भ में अपीलार्थी को उनके हिस्से की जमीन पर विधिमान्य दखल-कब्जा दिलाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही उक्त प्रक्रिया में विवाद उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक कानूनी/प्रशासनिक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। उपरोक्त आदेश के साथ इस अपीलवाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

निम्न न्यायालय (भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बनमनखी) द्वारा B.L.D.R. Case No.–52/2022-23 के आदेश (28.5.2024) को तदनुसार इस हद तक संशोधित समझा जाए।

आदेश की प्रति LCR सहित निम्न न्यायालय को भेजें।

08/8/2025.
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया

लेखापित एवं शुद्धित।

08/8/2025.
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया